FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

सरोज देवी बनाम दीनाराम वगै.

किस्म मुकदमा :–प्रार्थना पत्र 251(क) मु0नं0 527 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/1311

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19-08-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री रामगोपाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे तथा नायब तहसीलदार, नीमकाथाना को प्रकरण में तथ्यात्मक/मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.08.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
29-8-25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है, पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 29-9-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
29/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 10/10/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10-10-25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी सं. 3 बावजूद तामील अनु0। अतः इसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 01 का सम्मन हुक्मी प्रार्थना पत्र पेश किया। वास्ते अप्रार्थी सं. 02 के सम्मन हुक्मी की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 13/10/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

मुवालात

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक व प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण क्र. 1/1 से 1/4 व 2 की ओर से सहमती शपथ पत्र पेश किया। तहसीलदार रिपोर्ट एवं में प्राप्त हो चुकी है जो शामिल मिसल है।

30.10.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने विवेदन किया कि प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है अतः रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने पर अप्रार्थीगण सहमत है एवं किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क रा.का.अ. 1955 नामांकित में स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस)**
प्रा.पत्र संख्याः– 527/2025
जी.सी.एम.एस. नं.:– 2025/

1. सरोज देवी पत्नि महावीर प्रसाद जाति नायक निवासी भूदौली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2. महावीर प्रसाद पुत्र मानाराम जाति नायक निवासी भूदौली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. दीनाराम पुत्र पन्ना जाति बलाई (फौत)
   1/1 श्री सुवालाल पुत्र दीनाराम
   1/2 श्री हजारीलाल पुत्र दीनाराम
   1/3 श्री राधेश्याम पुत्र दीनाराम
   1/4 श्री श्रवण पुत्र दीनाराम
   समस्त जाति बलाई निवासी गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
2. सजना पत्नि सुवालाल जाति बलाई निवासी बलाई निवासी गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नीमकाथाना

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः– श्री **रामगोपाल शर्मा अधिवक्ता**

निर्णय

दिनांकः– 30/10/2025

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम गणेश्वर तहसील नीमकाथाना के भूमि खसरा नम्बर 728 रकबा 1.20 हैक्ट0 किस्म बारानी–2 की खातेदारी प्रार्थीगणों के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी खसरा नम्बर तक पहुंचने के लिये प्रार्थीगण के पास कोई रिकार्डेड रास्ता नही होने से राजस्व ग्राम गणेश्वर के भूमि खसरा नम्बर 725, 729 में से होकर आते जाते रहे है तथा काश्त करने हेतु साधनो का आवागमन रहा है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से काश्त करने के लिये अपने खेत मे रूकावट डाले जाने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में प्रार्थी को खेत मे आने–जाने मे काफी परेशानी होती है तथा

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी

खातेदारो द्वारा आने–जाने के रास्ते मे रूकावट डाली जाती है। रास्ता दर्ज रिकार्ड हो जाने पर इसका लाभ आसपास के अन्य खातेदारों को भी प्राप्त होगा।

अतः प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम गणेश्वर के खसरा नम्बर 728 मे आने–जाने हेतु राजस्व ग्राम गणेश्वर के भूमि खसरा नम्बर 725 व 729 में से 30 फीट रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते सनुवाई अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 तथा अप्रार्थी संख्या 02 ने उपस्थित होकर रास्ते के संबंध में अपना सहमती शपथ पत्र पेश किया। रास्ते बाबत् नायब तहसीलदार, नीमकाथाना से रिपोर्ट मंगवाई गई, बिन्दूवार रिपोर्ट मय नक्शा के प्रस्तुत की गई, जो शामिल मिसल की गई। मुताबिक रिपोर्ट के विवादित आराजी पर जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। रास्ता अत्यांतक आवश्यक है। वांछित रास्ता न्यूनतम दूरी का है, जो नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि नायब तहसीलदार, नीमकाथाना से रास्ते बाबत् रिपोर्ट नक्शा सहित प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थी को नियमानुसार रास्ता उपलब्ध करवाया जावें।

बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीगण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 728 में आने–जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध होना नही पाया जाता है। मौके के अनुसार प्रस्तावित रास्ता आत्यांतिक आवश्यक है। प्रस्तावित रास्ते की दूरी न्यूनतम है, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण स्वयं की संपरिवर्तन भूमि में खसरा नम्बर 2391/2365 व खसरा नम्बर 2383/2366 में 120 मीटर लम्बाई व 10 मीटर चौड़ाई कुल 1200 वर्गमीटर मे से होकर खसरा नम्बर 725 रकबा 0.60 हैक्ट. किस्म गै.मु. बेहड़ में से 110 मीटर लम्बाई एवं 10 मीटर चौड़ाई कुल भूमि 1100 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 729 रकबा 1.01 हैक्ट. किस्म बारानी–3 मे से 24 मीटर लम्बाई एवं 10 मीटर चौड़ाई कुल भूमि 240 वर्गमीटर में रास्ता जो नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है, बताया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तथा रिपोर्ट नायब तहसीलदार नीमकाथाना के एवं प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए प्रस्तावित रास्ता की आवश्यकता अत्यांतिक है। न्यूनतम दूरी का है एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रभावित अप्रार्थीगण को भी उक्त प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति नही है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251(क) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित रास्ता

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थीगण स्वयं की संपरिवर्तन भूमि में खसरा नम्बर 2391/2365 व खसरा नम्बर 2383/2366 में 120 मीटर लम्बाई व 10 मीटर चौड़ाई कुल 1200 वर्गमीटर मे से होकर राजस्व ग्राम गणेश्वर पटवार हल्का गणेश्वर के भूमि खसरा नम्बर 725 रकबा 0.60 हैक्ट. किस्म गै.मु.बेहड़ में से 110 मीटर लम्बाई एवं 10 मीटर चौड़ाई कुल भूमि 1100 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 729 रकबा 1.01 हैक्ट. किस्म बारानी–3 मे से 24 मीटर लम्बाई एवं 10 मीटर चौड़ाई कुल भूमि 240 वर्गमीटर में रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थीगण से प्रस्तावित रास्ता (मार्ग) में आने वाली भूमि के मुआवजा/प्रतिकर की राशि की गणना वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी दर से राशि अप्रार्थीगण को दिलावायी जावे तथा रास्ते में कोई निर्माण या पेड़ सरंचना आदि हो तो उसका भी नियमानुसार मूल्यांकन किया जाकर सम्पूर्ण मुआवजा राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर निर्धारित राजकीय मद मे जमा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जावे। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक होगा। रिपोर्ट दिनांक 24.09.2025 व मुताबिक नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा। आदेश की पालना में निर्णय की प्रति के साथ प्रस्तावित रास्ता मय नक्शा की प्रमाणित प्रति संलग्न कर तहरीर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/10/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)